



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र 1947 (श10)

(सं० पटना 1472) पटना, सोमवार, 8 सितम्बर 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

8 सितम्बर 2025

सं० एल०जी०-01-18/2025/5727/लेज—भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-(1) के अधीन बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 सितम्बर 2025 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

[बिहार अध्यादेश संख्या-02, 2025]

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2025

बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

प्रस्तावना :- चूँकि, वर्ष में अप्रत्याशित संभावित आपदाओं से पीड़ित/प्रभावितों को आपदा राहत दिये जाने;

और, चूँकि राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित महत्वपूर्ण योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन हेतु राशि की उपलब्धता, कई वैसी परियोजनाओं, जिनके लिए भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी परन्तु उसके अनुरूप बजट प्रावधान नहीं किया गया हो, परन्तु वैसी परियोजनाओं की केन्द्रांश की राशि को एक निश्चित अवधि के अन्दर व्यय किये जाने की आवश्यकता होती है ;

और, चूँकि वर्तमान में बिहार आकस्मिकता निधि के 350 (तीन सौ पचास करोड़) करोड़ रुपये के स्थायी काय को व्यय बजट के 04 (चार) प्रतिशत तक की अधिसीमा में अस्थायी रूप से बढ़ोतरी की व्यवस्था अपर्याप्त साबित हो रही है। इस अधिसीमा को 10 प्रतिशत करना अपेक्षित है तथा बढ़ोतरी के उपरान्त केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए वर्द्धित राशि के 10वाँ (1/10) भाग का उपयोग पर्याप्त होगी । अतः वर्तमान प्रावधान में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है ;

और, चूँकि, बिहार राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है ;

और, चूँकि बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) का इसमें आगे वर्णित रीति से संशोधन करने के लिए उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।-

- (1) यह अध्यादेश बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2025 कहा जा सकेगा ।
- (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा-4क का संशोधन ।- बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) की धारा-4क को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“4क अस्थायी काय ।- बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के प्रभावी होने की तिथि से प्रारम्भ होकर प्रत्येक वर्ष 30 मार्च, की अवधि में आकस्मिकता निधि के स्थायी काय में 350 करोड़ (तीन सौ पचास करोड़) रुपये से अधिक वृद्धि करने की यदि अपेक्षा हो तो उसे मंत्रिपरिषद् द्वारा अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकेगा जो उस वर्ष के 30 मार्च तक, व्यय बजट का अधिकतम 10 (दस) प्रतिशत तक होगा । उस राशि का, जो बढ़ायी गयी हो, के 10वाँ (1/10) भाग का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए किया जायेगा।”

आरिफ मोहम्मद खां,
बिहार राज्यपाल ।

पटना,
दिनांक : 6 सितम्बर, 2025

भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-(1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

आरिफ मोहम्मद खां,
बिहार राज्यपाल ।

पटना,
दिनांक : 6 सितम्बर, 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

8 सितम्बर 2025

सं० एल०जी०-01-18/2025/5728/लेज—बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 सितम्बर 2025 को प्रख्यापित बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (बिहार अध्यादेश संख्या-02, 2025) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

[Bihar Ordinance No.-02, 2025]

THE BIHAR CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025

AN

ORDINANCE

TO AMEND THE BIHAR CONTINGENCY FUND ACT, 1950

(BIHAR ACT 19 OF 1950).

Preamble – WHEREAS, in a year, it is essential to provide disaster relief to victims affected by unforeseen potential disasters;

AND WHEREAS, to ensure the availability of funds for the timely implementation of important schemes recommended by the State Government, and for several projects for which central assistance is to be received from the Government of India but corresponding budget provisions have not been made, and the central share of such projects must be expended within a defined period;

AND WHEREAS, Currently, the provision to temporarily increase the permanent corpus of ₹350 crore of the Bihar Contingency Fund upto 4% of the expenditure budget has proven inadequate. It is necessary to increase this limit to 10% and after the increase, it shall be sufficient to use one-tenth (1/10th) of the increased amount only for relief and rehabilitation measures due to natural disasters. Hence, it is necessary to make changes in the present provision.

AND WHEREAS, the Legislature of the State of Bihar is not in session,

AND WHEREAS, the Governor of Bihar is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend the Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19 of 1950) in the manner hereinafter appearing.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following Ordinance:

1. Short Title and Commencement.—

(1) This ordinance may be called the *Bihar Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2025*.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section 4A of the Bihar Contingency Fund Act, 1950.— Section 4A of the Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19 of 1950) shall be substituted as follows:-

"4A Temporary Corpus.— In the period starting from the date of commencement of the Bihar Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2025, to 30th March of every year, if it requires to increase the permanent corpus of the contingency fund beyond ₹350 crores, the same may be enhanced temporarily by the Cabinet which is maximum up to 10% of the

expenditure budget of that year up to 30th March of that financial year. One-tenth (1/10) of the amount which has increased, will be used only for relief and rehabilitation measures due to natural calamities."

**Arif Mohammed Khan,
Governor of Bihar.**

Patna,

Dated: 6th September, 2025

Under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, I have promulgated this Ordinance.

**Arif Mohammed Khan,
Governor of Bihar.**

Patna,

Dated: 6th September, 2025

—
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1472-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>